# बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

---

## सरकारी प्रतिवेदन

---

### ( भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर )

---

शुक्रवार, तिथि २६ मार्च, १९७६ ई०

---

## विषय-सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४(२) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर। | १ |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | : | |
| अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या | : १७ एवं १८ | २—६ |
| तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या | : ६०८; ६१०, ३१२, ६१५–६२२, ६२४, ६२९—६३१, ६३३, ६३५, ६३७, ६३९, ६४२, ६४३, ६४८, ६५०, ६५२, ६५३, ६५६, ६५८, ६६०, ६६३, ६६५, ६७०, ६७५; ६७६, ६८०, ६८५। | ६–४६ |
| परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) | | ४७–१६३ |
| दैनिक निबन्ध | | १६५–१६६ |


---

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

(३) क्या यह सही है कि सुरसंड में प्रखंड मुख्यालय है, जहाँ थाना, चकबंदी एवं अंचलाधिकारी कार्यालय के साथ-साथ उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय चिकित्सालय कार्यरत हैं ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सुरसंड को पेय जलापूर्ति योजना अन्तर्गत सरकार लाने का विचार करती है; यदि हाँ, तो कबतक ?

श्री करमचन्द भगत—(१) सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार सुरसड गाँव की आबादी १२,५३४ है ।

(२) पंचम पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत (१) वास्तव में असुविधाजनक, (२) हैजा स्थानिकमारी एवं (३) अधिक लौह वाले ग्रामों में पेय जल की सुविधा देने का प्रस्ताव है । ऐसा कोई निश्चित निर्णय नहीं है कि पाँच हजार से अधिक आबादी वाले गाँवों में ही जलापूर्त्ति देनी है ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(४) निधि के अभाव में उक्त जलापूर्त्ति योजना का कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नहीं है ।

———

## भविष्यनिधि नहीं जमा करने का औचित्य

६५८ । श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि आर० बी०एच०एम० जूट मिल्स के प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को ६० लाख रुपया भविष्यनिधि का तथा राज्य कर्मचारी बीमा का जमा नहीं किया है ;

(२) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त बकाये राशि को जमा करने के लिये क्या करने जा रही है; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा—(१) आर०बी०एच०एम० जूट मिल्स के यहाँ भविष्यनिधि अंशदान पारिवारिक पेंशन अंशदान सहित बकाया राशि मार्च, ७३ से फरवरी, ७६ तक की अवधि तक लगभग ३३ लाख थी । कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की बकाया राशि जनवरी, ७६ तक करीब २४,७८,९०० थी ।

(२) भविष्यनिधि अंशदान अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की वसूली का दायित्व क्रमशः क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, बिहार तथा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऊपर है। अंशदान के बकाये राशि की वसूली हेतु उन कार्यालयों के द्वारा ही कानूनी कार्रवाई की जाती है। फिर भी, इस सम्बन्ध में बकाये राशि की वसूली के लिये राज्य सरकार के स्तर पर भी समय-समय पर प्रयास किया जाता रहा है। दिनांक ८–१०–७५ को मैंने स्वयं प्रबन्धक एवं नियोजितों के प्रतिनिधि को बुलाकर विमर्श किया था ; विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया था कि प्रबन्धन एवं श्रमिक संघ के प्रतिनिधि एक संयुक्त अपील भारत सरकार के श्रम मंत्री को इस सुझाव के अनुसार भेजें कि बकाये राशि की वसूली के लिये भारत सरकार द्वारा किस्त निर्धारित कर दिया जाय, जिससे कि वे नवम्बर, ७५ से भुगतान करना शुरू कर दें तथा साथ-साथ चालू अवधि के देय अंशदान की राशि भी करते रहें। किन्तु प्रबन्धन द्वारा इस निर्णय का अनुपालन नहीं किया जा सका। बाद में सम्बन्धित जिलाधिकारी से तथा सम्बन्धित सहायक श्रमायुक्त से अनुरोध किया गया है कि वे प्रबन्धन पर दबाव डालकर बकाये राशि की वसूली हेतु कारगर कदम उठावें। साथ ही सचिव, श्रम एवं नियोजन द्वारा भी प्रबन्धक को बकाये राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

———

## बकाये का भुगतान

६६०। श्री शिवपूजन वर्मा—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के नि० प्रा० विद्यालय मंगुरा के शिक्षक, श्री गैजनाथ राम ने दिनांक १-१-७२ को अवकाश प्राप्त कर लिया है; परन्तु, उन्हें पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री राम का जी०पी०एफ०, मंहगाई तथा नए स्केल के मुताबिक वर्द्धित वेतन आदि की बकाये राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ;